

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/1317/2022:: लखनऊ::दिनांक:सितम्बर 12, 2022

--:आदेश:-

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, कानपुर के पत्रांक-481/2022 दिनांक 30.08.2022 पर सम्यक विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4 कानपुर के साथ संलग्न सूची(दो पन्नों में) के अनुसार कुल 67 लम्बित द्वितीय अपीलों को पीठ-2, कानपुर को नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्रम सं०	पीठ का नाम जहाँ से अपीलों को अंतरित किया जाना है	पीठ का नाम जिनको अपीलों को अंतरित किया गया है	अपीलों की सूची
1.	सदस्य पीठ-4, कानपुर	सदस्य, पीठ-2, कानपुर	संलग्न सूची(दो पन्नों में) के अनुसार 67 द्वितीय अपीलों।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


12/09/2022
(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/1317/2022, दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर।(मय सूची)
2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, कानपुर। (मय सूची)
3-असि० कमि०/रा०प्रति० 2 व 4, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।(मय सूची)
5-वेब अधिकारी मुख्यालय।(मय सूची)

आज्ञा से,


12/9/2022

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

